न्यायालय सिविल जज(जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट रानीखेत
दाण्डिक वाद संख्या– 284 सन् 2022
उत्तराखण्ड राज्य बनाम् पान देव जोशी

07.06.2024 : पुकार लगायी गयी। पत्रावली प्रस्तुत हुई।

राज्य की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी श्रीमती मीना खान न्यायालय में उपस्थित है। अभियुक्त पान देव जोशी मय विद्वान अधिवक्ता श्री सी.पी. पाण्डे न्यायालय में उपस्थित है।

पत्रावली शेष अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

अभियोजन साक्षी हेमा कार्की आज न्यायालय में उपस्थित है। अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 07 से राज्य की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी श्रीमती मीना खान द्वारा मुख्य परीक्षा व अभियुक्त पान देव जोशी की ओर से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री सी.पी.पाण्ड़े द्वारा प्रतिपरीक्षा कर कागज संख्या 44क/1 लगातय पर अंकित की गयी। अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 07 के बयान पत्रावली में शामिल मिसल हो। राज्य की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी श्रीमती मीना खान द्वारा आदेश पत्र पर सभी आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत किये जा चुके है अन्य कोई शेष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाना है का पृष्ठांकन किया गया। अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया जाता है। पत्रावली अभियुक्त के बयान अन्तर्गत 313 दण्ड़ प्रक्रिया संहिता हेतु नियत की जाती है।

पत्रावली दिनांक 01.07.2024 को अभियुक्त के बयान अन्तर्गत 313 दण्ड़ प्रक्रिया संहिता हेतु प्रस्तुत हो।

(जसमीत कौर)
सिविल जज(जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रानीखेत।